न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 113/2015

1 बोदूराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी कृपाराम की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/1 जीवणराम पुत्र बोदूराम।

1/2 गोपाल पुत्र बोदूराम।

1/3 परमेश्वरी पत्नी बोदूराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामसिंहपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/4 मनोहरी पुत्री बोदूराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी दयालपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर।

1/5 तीजू पुत्री बोदूराम पत्नी रामचन्द्र।

1/6 किस्तुरी पुत्री बोदूराम पत्नी हरलाल जाति जाट निवासीगण तुरकासिया तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/7 सुमित्रा पुत्री बोदूराम पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी घिरणियां छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 रामचन्द्र पुत्र परतूराम।

3 केसरदेव पुत्र परतूराम।

4 बनारसी पत्नी रामचन्द्र।

5 अमरसिंह पुत्र रतनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कृपाराम की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पोकरमल पुत्र भींवाराम।

2 नोपाराम पुत्र भींवाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3 रामकुमार पुत्र भींवाराम।
4 सोहनी पुत्री भींवाराम पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासीगण रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 भंवरलाल पुत्र नाथाराम दत्तक पुत्र चेताराम।
6 मदनलाल पुत्र नाथाराम दत्तक पुत्र चेताराम।
7 मुकेश पुत्र नाथाराम दत्तक पुत्र चेताराम।
8 उमी देवी पत्नी हरदेवाराम।
9 नागरमल पुत्र हरदेवाराम।
10 रामचन्द्र पुत्र हरदेवाराम।
11 भगवानी पुत्री हरदेवाराम।
12 गीता पुत्री हरदेवाराम।
13 छोटी पुत्री हरदेवाराम।
14 रामेश्वर पुत्र गोदूराम।
15 सोहनी देवी पत्नी गंगाधर।
16 लक्ष्मणराम पुत्र गंगाधर।
17 प्रकाश पुत्र गंगाधर।
18 नरेन्द्र पुत्र गंगाधर।
19 भंवरी देवी पुत्री गोदूराम।
20 खींवाराम पुत्र कानाराम।
21 मनोहरी पुत्री नाथाराम।
22 सुवटी पुत्री नाथाराम।
23 छोटी पुत्री नाथाराम।
24 जीवणी पुत्री कानाराम।
25 सुरजी देवी पुत्री कानाराम।
26 पतासी पुत्री कानाराम।
27 बरजी पुत्री कानाराम।
28 सोनी पुत्री कानाराम।
29 रामकोरी पुत्री कानाराम।
30 रामी देवी पुत्री नारायण।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

31 भींवाराम पुत्र नारायण।
32 लक्ष्मणराम पुत्र नारायण।
33 जीवणराम पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामसिंहपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
34 सुरजी देवी पुत्री नारायण पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी ग्राम मीलों की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
35 भगवानी देवी पुत्री नारायण धर्मपत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी लोडसर तहसील सुजानगढ़ जिला सीकर।
36 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
37 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
38 मोहरी देवी पत्नी रतनाराम।
39 रामेश्वर पुत्र रतनाराम समस्त जाति जाट निवासी कृपाराम की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
40 केशर देवी पुत्री रतनाराम पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी गुडावडी तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।
41 गंगादेवी पुत्री रतनाराम पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी बिजारनियों की ढाणी तन सिंगरावट तहसील व जिला सीकर।
42 पोखर पुत्र लिखमाराम।
43 कानी देवी पत्नी सूरजाराम।
44 भागीरथ पुत्र सूरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कृपाराम की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
45 बालूराम पति पतासी पुत्र देवाराम।
46 भागोती पुत्री बालूराम।
47 मोहनी पुत्री बालूराम।
48 सांवरमल पुत्र बालूराम।
49 केसरदेव पुत्र बालूराम समस्त जाति जाट निवासीगण स्वामी की ढ़ाणी तन नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दिनांकित 14.09.2015

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानुराम बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त कृषि भूमियां खसरा नम्बर 18 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 32 बीघा, खसरा नम्बर 99 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 148 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता वाकै तन ग्राम रामसिंहपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण/वादीगण संख्या 01 पर्यन्त 20 ने उपरोक्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में गलत एवं आधारहीन वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थीगण एवं अन्यों के विरूद्व बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद में रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण/वादीगण संख्या 01 पर्यन्त 20 ने उक्त विवादग्रस्त कृषि

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमियों को भूमियों को कतई गलत रूप से अपनी पैतृक कृषि भूमियां बताते हुए स्वंय को 2/3 हिस्सा का काबिज, काश्तकार, खातेदार घोषित करवाने एवं विभाजन का तथा स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन का अनुतोष चाहा। उक्त वाद पत्र में रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण/वादीगण संख्या 01 पर्यन्त 20 ने वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में सही रूप से अंकित रिड़मलराम, उसके बाद हरजी व तत्पश्चात हरजी की पत्नी गुल्ली देवी की खातेदारी को कतई गलत आधारों पर चुनौती दी। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण/वादीगण संख्या 01 पर्यन्त 20 ने उक्त दावा के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन की विस्तृत जवाबदेही मूल दावा के प्रतिवादीगण संख्या 01 पर्यन्त 7 ने प्रस्तुत कर दी। उक्त वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन बाद में स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के यहां स्थानान्तरित कर दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.09.2015 को रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण/वादीगण संख्या 1 पर्यन्त 20 का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अपीलांट अप्रार्थीगण एंव औपचारिक रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण संख्या 38 पर्यन्त 49 तथा रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण संख्या 21 पर्यन्त 37 के विरूद्व कतई गलत रूप से मनमाने आधारों पर कानून के विरूद्व स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का गुल्ली ने बेचान किया है। कर्ता खानदान होने से विवादित भूमि अकेले रिड़मल के नाम आई थी वादीगण रेस्पोडेंटस् का इन भूमियों से कोई वास्ता नही है। रूपाराम के जीवित रहते ही रिड़मल, अणदा व खांगा ने अलग–अलग अपने हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करना शुरू कर दिया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागु होने के पूर्व से ही काबिज काश्त होने से खातेदार है एवं सही रूप से काबिज काश्त है। गुल्ली ने अपने हक

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हिस्से को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया था। सहकाश्तकार नही होने से रेस्पोडेंट का स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारे का दावा पोषणीय ही नही है। हमारे नामान्तकरण के विरूद्व इनके द्वारा की गई अपील सम्भागीय आयुक्त के यहां से दिनांक 03.05.2018 को एवं सम्भागीय आयुक्त के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल से दिनांक 15.04.2019 को खारिज हो चुकी है। कोई भी दस्तावेज इनके पक्ष में नही है। विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों एवं जिला एवं सेशन न्यायाधिश की अनदेखी की गई है। रजिस्टर्डड डीडको जब तक चुनौती देकर खारिज नही करवा लिया जाता तब तक उसे सही माना जायेगा यह विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, तथ्यों से परे है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रूपाराम की मृत्यु टेनेन्सी लागु होने से पूर्व हुई थी अणदाराम नाऔलाद फौत हुआ है यह खांगाराम के साथ रहता था। गुल्ली भी नाऔलाद थी उसने अपने पीहर पक्ष के व्यक्तियों को बेचान कर दिया। रिड़मल के नाम से कर्ता खानदान होने से अकेले के नाम दर्ज हुई है। नारायणलाल का विवादित भूमियों से कोई वास्ता नही है। खांगाराम के वारिसो के नाम कोई भूमि नही है क्योंकि सम्पूर्ण खातेदारी रिड़मल के नाम हो गई थी। विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य हो तो अलग से चुनौती की आवश्यकता नही है। हम प्रारम्भ से ही काबिज काश्त है मूलवाद में तय होगा की हमे खातेदारी मिलती है या नही इस स्तर पर स्थगन नही रहेगा तो भूमि खुर्द बुर्द कर दी जावेगी। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपील न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि रिड़मल के अलावा अन्य पक्षकारो अथवा उनके पूर्वजो के नाम रही हो। विचारण न्यायालय में अपने निर्णय में किसी भी राजस्व रिकार्ड का अंकन अथवा विवेचन नही किया है। विवादित भूमि में गुल्ली देवी द्वारा दिनांक 15.12.1980 को तीन पंजिकृत विक्रय पत्र, इसके पश्चात दिनांक 21.05.1987, 11.05.1988,07.06.1989,05.06.1989 को अलग–अलग पंजिकृत विक्रय पत्र निस्पादित किये गये है। वादीगण रेस्पोडेंटस् द्वारा इन विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करने की कोई कार्यवाही नही की गई। न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि विक्रय पत्रों की वैधता का परीक्षण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण भी निरस्त किये जाने का कोई आदेश पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित होते है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इन तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर